



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 823/फा0सं0-499/एच0ओ0डी0/डी0एस0एम0एन0आर0यू0/2018-19

दिनांक: 24 अगस्त, 2018

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 की धारा-5.10 से 5.13 में कुलानुशासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय में परिसर में अनुशासनिक व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश सं0: 143/कुल0का0/पत्रा.-499/2015-16, दिनांक: 05 मार्च, 2016 को अवक्रमित करते हुए डॉ0 प्रेम मोहन, प्रोफेसर, वाणिज्य को विश्वविद्यालय का कुलानुशासक निम्नलिखित शर्तों के अधीन आदेश निर्गत होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक के लिए नियुक्ति किये जाने का निदेश हुआ है-

- क. कुलानुशासक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कुलपति महोदय द्वारा समनुदेशित की जायेंगी।
- ख. कुलानुशासक अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।
- ग. कुलानुशासक ऐसे मानदेय के लिए अर्ह होगा जैसा कुलपति द्वारा अवधारित किया जायेगा।
- घ. कार्य परिषद द्वारा कुलानुशासक के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देश बाध्यकारी होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. डॉ0 प्रेम मोहन, प्रोफेसर, वाणिज्य।
6. श्री पी0 राजीव नयन, प्रोफेसर, ललित कला।
7. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव